

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	राजस्व विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4739
उत्तर की तिथि	:	03.03.2022
विषय	:	अन्नापति प्रमाण पत्र
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अरुण कुमार (नगरौटा)
सम्बंधित मंत्री	:	जल शक्ति मंत्री

प्रश्न

उत्तर

**क्या जल शक्ति मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-**

यह सत्य है कि सरकार, सरकारी कार्यों हेतु सरकारी भूमि के अधिग्रहण के नियमों में संशोधन कर इसके सरलीकरण हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत के अनापति प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर केवल उप-मंडलीय अधिकारी (ना.) द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र को मान्य करने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारणों सहित ब्यौरा दें ?

सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या 4739 जोकि माननीय विधायक श्री अरुण कुमार (नगरोटा) द्वारा पूछा गया है से सम्बंधित उत्तर ।

जी नहीं ।

किसी भी सरकारी/निजी भूमि के स्थानान्तरण/अधिग्रहण हेतु स्थानीय पंचायत/लोगों के विचार/आपतियां जानना आवश्यक है इसलिए सरकार अन्नापति प्रमाण पत्र हटाने बारे कोई विचार नहीं रखती ।